न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 52/2014

1 सन्तोष देवी पत्नी श्रीराम जाति मेघवाल निवासी कुलताजपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

1 विद्यादेवी पुत्री स्व. अशोक पत्नी रोहताश जाति मेघवाल निवासी मोतला खुर्द तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
2 चिड़िया देवी पुत्री स्व. अशोक पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी मोतला खुर्द तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
3 भतेरी देवी पुत्री स्व. अशोक पत्नी रमेश जाति मेघवाल निवासी गावड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
4 माया देवी पुत्री स्व. अशोक पत्नी प्रताप जाति मेघवाल निवासी बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 सुमन देवी पुत्री स्व. अशोक पत्नी सुनील जाति मेघवाल निवासी सरोला तहसील व जिला झुन्झुनू हरियाणा।
6 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस प्रार्थना पत्र संख्या 87/2012 मुकदमा उनवानी विद्यादेवी वगैरह बनाम सन्तोष देवी आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 07.05.2014

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम ठाठवाड़ी तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 195 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को पैत्रिक भूमि मानने में गलती कानूनी की है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मंगलाराम पुत्र खड़गाराम की गैर खातेदारी में दर्ज है व गैर खातेदारी की भूमि बाबत विचारण न्यायालय ने पैत्रिक भूमि मानने में गलती कानूनी की है। गैर खातेदार कोई व्यक्ति है तो उसके वारिसान उक्त भूमि में जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं करते है। उक्त भूमि का खातेदार मंगतुराम रहा है न कि मंगलाराम व अशोक उक्त भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि मंगतुराम की खातेदारी की भूमि रही न की मंगलाराम व अशोककुमार की विचारण न्यायालय ने गैर खातेदार को खातेदार मानने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या मामला मानने में गलती कानूनी की है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में मानने में गलती कानूनी की है। दस्तावेजी साक्ष्य से हटकर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन मानकर विचारण न्यायालय ने गम्भीर गलती कानूनी की है। गैर खातेदार के वारिसान का उसकी मृत्यु पर भूमि उत्तराधिकार में नहीं मिलती। वाद में वर्णित भूमि को विचारण न्यायालय ने आंवटित भूमि मानती है तो उसके लिये अलग से प्रावधान है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा किया है वो दावा ही पोषणीय नहीं है। फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि बाबत स्थगन आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 246 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। दौराने अपील अपीलांट ने विवादित भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वाके ग्राम ठाठावाड़ी तहसील खेतड़ी की जमाबंदी सन् 1977 खाता संख्या 142 खसरा नम्बर 195 रकबा 2.05 हैक्टेयर में मंगलाराम पुत्र खड़गाराम कौम चमार (मेघवंशी) गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मंगलाराम की मृत्यु के पश्चात् विरासतन नामांतकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मंगला पुत्र खड़गा फौत मंगतुराम पु. अशोक नवीरा मंगलाराम जाति चमार सा. दे. खातेदार जमाबंदी सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 195 रकबा 2.05 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड हुआ। प्रार्थना पत्र के खण्ड नम्बर 3 में वर्णित वृक्षवंशावली से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण खातेदार मंगलाराम की पौत्री है। खातेदार मंगलाराम के एक ही पुत्र अशोक था तथा अशोक के एक पुत्र मंगतुराम व पांच पुत्रियां प्रार्थीगण पैदा हुई। वर्णित भूमि प्रार्थीयागण की पैतृक भूमि है तथा प्रार्थीयागण का इस पैतृक भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार जन्म से हित निहित है। प्रार्थीयागण के दादा मंगलाराम के देहान्त के बाद विवादित भूमि का विरासतन नामांतकरण प्रार्थीयागण व इनके भाई मंगतूराम के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन प्रार्थीयागण के भाई मंगतुराम अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया तथा प्रार्थीयागण का नाम दर्ज नहीं हुआ। मगर विवादित भूमि पर अप्रार्थीनी संख्या 1 प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने पर अमादा है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयागण के पक्ष का पाया जाता है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष का बनता है अगर वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीयागण के कब्जा काश्त भूमि में उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करते है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण को ही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील के स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में दर्ज है। गैर खातेदारी में विरासतन अधिकार प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं होते है। प्रार्थीगण के हक अधिकार मूल वाद में तय होना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर